

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.)

// संशोधित विविध आदेश //

क्रमांक- 41 / एक-5-1 / 2010,

सिंगरौली, दिनांक-23.06.2023

माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबपुर का आदेश क्रमांक 313/ गोपनीय/2023/दो-2-33/57(पार्ट-20), जबलपुर दिनांक 03.04.2023 के द्वारा तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैढन (श्री अंजनी नंदन जोशी) का स्थानांतरण किए जाने से तब से वर्तमान अवधि तक उक्त न्यायालय रिक्त होने के कारण एवं प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से संचालित करने के प्रयोजन से, इस कार्यालय से जारी कार्य विभाजन पत्रक, विविध आदेश क्रमांक 2, दिनांक 17.01.2023 में नवीन संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है:-

सरल क्रमांक 05 (श्री आत्माराम टांक चतुर्थ जिला न्यायाधीश, बैढन, जिला सिंगरौली) के कॉलम क्रमांक 4 के, सरल क्रमांक 4 के पश्चात् क्रमांक "5" निम्नानुसार नवीन प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"बीमा कंपनियों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले मृत्यु दावा प्रकरण को छोड़कर अन्य मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली बैढन एवं थाना विन्ध्यनगर से उद्भूत होने वाले नवीन प्रकरणों की प्रस्तुति/सुनवाई"

उक्त संशोधित आदेश, आदेश दिनांक से ही प्रभावशील होगा।

-sd-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक-~~256~~ / एक-5-1 / 2010

सिंगरौली, दिनांक-23.06.2023

1. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम जिला न्यायाधीश, बैढन
2. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, बैढन, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

sd
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)